न्यायालयः– अपर जिला न्यायाधीश, सादुलशहर, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी	**:–**	**दीपा शर्मा, R.J.S.**
		(जिला न्यायाधीश संवर्ग)
प्रकरण संख्या	**:–**	**18/2026**
(हिन्दू विवाह अधिनियम)		
सी.आई.एस. नंबर	**:–**	**18/2026**
सी.एन.आर. नंबर	**:–**	**RJSG240000892026**

तमन्ना पुत्री श्री वेदप्रकाश पत्नी धीरू सिंह, उम्र–24 साल, (याचिका प्रस्तुति के समय), निवासी–धिंगतानिया, तहसील–सादुलशहर, वर्तमान निवास–गाँव नूरपुरा, वार्ड नंबर–04, तहसील–सादुलशहर, जिला–श्रीगंगानगर (राज.)।

....प्रार्थी संख्या–1

एवं

धीरू सिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह, उम्र–34 साल (याचिका प्रस्तुति के समय), निवासी– वार्ड नंबर–08 धिंगतानिया, तहसील–सादुलशहर, जिला–श्रीगंगानगर (राज.)।

....प्रार्थी संख्या–2

विवाह विच्छेद याचिका अन्तर्गत धारा 13–(ख) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955

उपस्थितः–

(1) श्री करणी सिंह राठौड़, विद्वान न्यायमित्र/अधिवक्ता–प्रार्थीगण की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 12.03.2026

01. प्रार्थी संख्या–1 तमन्ना एवं प्रार्थी संख्या–2 धीरू सिंह की ओर से यह विवाह विच्छेद याचिका धारा 13–(ख) हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद हेतु दिनांक 13.02.2026 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर दर्ज रजिस्टर की गई। प्रकरण/याचिका में पक्षकारों के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर बाद सुनवाई उन्हें 6 माह की विचार–विमर्श की अवधि से विमुक्त किया गया।

02. याचिका के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण जन्म से हिन्दू हैं तथा आज भी हिन्दू धर्म को मानते हैं। प्रार्थीगण जन्म से आज तक हिन्दू विधि से शासित होते आये हैं तथा हिन्दू विवाह

अधिनियम 1955 के प्रावधान प्रार्थीगण पर लागू व प्रभावी हैं। प्रार्थीगण का विवाह दिनांक 28.04.2022 को गाँव–नूरपुरा वार्ड नंबर–04, तहसील–सादुलशहर, जिला–श्रीगंगानगर में हिन्दू धर्म के रीति–रिवाज व रस्मों के अनुसार सम्पन्न हुआ था तथा प्रार्थीगण आपस में पति–पत्नी बने। वे पति–पत्नी के रूप में गाँव–धिंगतानिया वार्ड नंबर–08, तहसील–सादुलशहर, जिला–श्रीगंगानगर (राज.) में एक–साथ निवास करने लगे व अपने दाम्पत्य संबंधों का निर्वहन करने लगे। विवाह के पश्चात् से ही प्रार्थीगण के वैवाहिक संबंधों में कटुता आ गयी तथा गृहस्थ के कई मुद्दों को लेकर उनके मतभेद हो गये। प्रार्थीगण मुश्किल से लगभग 2 वर्ष 9 माह ही पति–पत्नी के रूप में एक साथ रहे। तत्पश्चात् उनके वैवाहिक संबंधों में आयी कटुता व गृहस्थ के कई मुद्दों को लेकर उनके गंभीर वैचारिक मतभेदों के चलते प्रार्थीगण का पति–पत्नी के रूप में एक छत के नीचे एक साथ निवास करना असम्भव हो गया। ऐसी परिस्थितियों के चलते विवाह के लगभग 2 वर्ष 9 माह पश्चात् दिनांक 11.02.2025 को प्रार्थी संख्या–1 तमन्ना, प्रार्थी संख्या–2 धीरू सिंह से अलग होकर एक वर्ष से अधिक समय से अपने पीहर निवास गाँव–वार्ड नंबर–04 नूरपुरा, तहसील–सादुलशहर, जिला–श्रीगंगानगर (राजस्थान) में पुत्री दिव्या सहित निवास कर रही है। प्रार्थीगण पिछले एक वर्ष से अधिक समय से अलग–अलग निवास कर रहे हैं तथा उनके मध्य पिछले एक वर्ष से अधिक समय से सहचर्य व दाम्पत्य संबंधों का निर्वहन नहीं हुआ है। प्रार्थीगण के रिश्तेदारों, सगे–सम्बन्धियों व हितैषी व्यक्तियों ने प्रार्थीगण के मध्य हुए गम्भीर मतभेदों को एवं उनके वैवाहिक संबंधों में आई कटुता को दूर करने के भरसक प्रयास किये, लेकिन प्रार्थीगण के मध्य पति–पत्नी के रूप में साथ रहने के सम्बन्ध में राजीनामा नहीं हो सका, जिस पर प्रार्थीगण ने बिना किसी व्यक्ति विशेष के दबाव, प्रभाव या धमकाव में आये अपने विवाह संबंध को स्वेच्छा से व पारस्परिक सम्मति, सहमति एवं स्वीकृति के आधार पर विच्छेदित करने का निर्णय लिया हैं। प्रार्थीगण के दाम्पत्य सम्बन्धों से एक सन्तान पुत्री दिव्या दिनांक 19.05.2023 को पैदा हुई है, जो कि वर्तमान में प्रार्थी संख्या –1 तमन्ना के पास उसकी अभिरक्षा व सरंक्षण में है। पुत्री दिव्या के सम्बन्ध में प्रार्थीगण के मध्य यह तय हुआ है कि भविष्य में पुत्री दिव्या, प्रार्थी संख्या–1 तमन्ना की अभिरक्षा व सरंक्षण में रहेगी तथा पुत्री दिव्या के लालन–पालन, शिक्षा–दीक्षा व देखरेख की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी संख्या–1 तमन्ना पर होगी तथा प्रार्थी संख्या–2 धीरू सिंह भविष्य में पुत्री दिव्या को अपनी अभिरक्षा में प्राप्त करने के सम्बन्ध में कोई दावा नहीं करेगा। प्रार्थीगण के आपसी विवाद सदैव के लिए समाप्त हो गये हैं और किसी प्रकार का कोई विवाद प्रार्थीगण के मध्य अब शेष नहीं रहा है। प्रार्थी संख्या–1 तमन्ना ने प्रार्थी संख्या–2 धीरू सिंह से अपना समस्त स्त्रीधन प्राप्त कर लिया है तथा सम्पत्ति

संबंधी कोई विवाद प्रार्थीगण के मध्य अब शेष नहीं रहा है। प्रार्थी संख्या–1 ने अपने भरण–पोषण व आजीवन निर्वाह भत्ता का पूर्ण रूप से परित्याग कर दिया है तथा भविष्य में प्रार्थी संख्या–1 तमन्ना, स्त्रीधन, सम्पत्ति व अपने भरण–पोषण के संबंध में प्रार्थी संख्या–2 धीरू सिंह के विरूद्ध या उसके रिश्तेदारों के विरूद्ध कोई विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं करेगी और ना ही कोई दावा करेगी। विवाह विच्छेद की याचिका किसी भी दुर्भिसन्धि के अन्तर्गत प्रस्तुत नहीं की गई है। अंत में याचिका के न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार की होने का एवं उसे निर्धारित न्यायालय शुल्क पर पेश करने इत्यादि का कथन करते हुए उन्होंने पारस्परिक सम्मत्ति एवं सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री पारित किए जाने का निवेदन किया।

03. याचिका प्रस्तुत होने के पश्चात् दोनों पक्षों के न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने पर उनके मध्य समझाईश की गई, जो असफल रही।

04. दोनों पक्षों के मध्य की गयी समझाईश के असफल होने के पश्चात् मौखिक साक्ष्य में प्रार्थी संख्या–1 तमन्ना ने स्वयं को बतौर गवाह ए.ड. 1 एवं प्रार्थी संख्या–2 धीरू सिंह ने स्वयं को बतौर गवाह ए.ड. 2 परीक्षित करवाया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श–1 मूल विवाह निमंत्रण कार्ड, प्रदर्श–2 प्रार्थी संख्या–1 तमन्ना के मूल आधार कार्ड मय उसकी फोटोप्रति प्रदर्श–2 ए एवं प्रदर्श–3 प्रार्थी संख्या–2 धीरू सिंह के मूल आधार कार्ड मय उसकी फोटोप्रति प्रदर्श–3 ए को प्रदर्शित करवाया।

05. बहस सुनी गयी। दौराने बहस, दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित न्यायमित्र/अधिवक्ता ने याचिका में वर्णित अभिवचनों को ही दोहराते हुए पक्षकारों को पारस्परिक सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री प्रदान किए जाने का निवेदन किया।

06. दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में सम्पूर्ण पत्रावली एवं सम्बन्धित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष अवधार्य बिन्दु यह है किः–

"क्या प्रार्थी संख्या–1 तमन्ना एवं प्रार्थी संख्या–2 धीरू सिंह हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13–(ख) के तहत पारस्परिक सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी हैं?"

इस सम्बन्ध में याचिका के समर्थन में प्रार्थी संख्या–1 तमन्ना, जो बतौर गवाह ए.ड. 1 एवं प्रार्थी संख्या–2 धीरू सिंह, जो बतौर गवाह ए.ड. 2 पेश हो परीक्षित हुए हैं, इन्होंने अपने–

अपने सशपथ बयानों/कथनों में याचिका में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए उनकी पूर्णतया पुष्टि की है, जिनकी संपुष्टि उनके द्वारा प्रस्तुत प्रलेखीय साक्ष्य से भी होती है। इस प्रकार दोनों पक्षों के अभिवचनों व उनकी ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट दर्शित होता है कि प्रार्थी संख्या–1 तमन्ना एवं प्रार्थी संख्या–2 धीरू सिंह का विवाह दिनांक 28.04.2022 को गाँव–नूरपुरा वार्ड नंबर–04, तहसील–सादुलशहर, जिला–श्रीगंगानगर में हिन्दू धर्म के रीति–रिवाज व रस्मों के अनुसार सम्पन्न हुआ था। इसके अलावा यह भी स्पष्ट दर्शित होता है कि विवाह के पश्चात् से ही प्रार्थीगण के वैवाहिक संबंधों में कटुता आ गयी तथा गृहस्थ के कई मुद्दों को लेकर उनके वैचारिक मतभेद हो गये। बाद में उनके वैवाहिक संबंधों में आयी कटुता व गृहस्थ के कई मुद्दों को लेकर उनके गम्भीर वैचारिक मतभेदों के चलते उनका पति–पत्नी के रूप में एक छत के नीचे एक साथ निवास करना असम्भव हो गया। इसके अलावा दोनों ही पक्षों की ओर से उनके दिनांक 11.02.2025 से एक दूसरे से अलग–अलग निवास करने के, उनके मध्य दिनांक 11.02.2025 से दाम्पत्य सम्बन्धों के निर्वहन नहीं होने के, उनके सहचर्य नहीं होने के तथा उनके रिश्तेदारों, सगे–सम्बन्धियों व हितैषी व्यक्तियों के द्वारा उनके मध्य हुए गम्भीर वैचारिक मतभेदों को एवं उनके वैवाहिक संबंधों में आई कटुता को दूर करने के भरसक प्रयास किये जाने के बावजूद उनके मध्य पति–पत्नी के रूप में साथ रहने के सम्बन्ध में राजीनामा नहीं हो सकने के भी कथन किये गये हैं। इस प्रकार इन सभी बातों/तथ्यों से यही दर्शित होता है कि दोनों पक्षों के मध्य वैवाहिक जीवन का पूर्णतः अंत हो चुका है, जिसके पुनर्जीवित होने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती है। इसके अलावा दोनों ही पक्षकारों के द्वारा प्रार्थी संख्या–1 तमन्ना के द्वारा प्रार्थी संख्या–2 धीरू सिंह से अपना समस्त स्त्रीधन प्राप्त कर लिये जाने के, उनके मध्य अब सम्पत्ति सम्बन्धी व अन्य कोई विवाद शेष नहीं होने के तथा उनकी पुत्री दिव्या के भविष्य में प्रार्थी संख्या–1 तमन्ना की अभिरक्षा व सरंक्षण में रहने, उसके लालन–पालन, शिक्षा–दीक्षा व देखरेख की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी संख्या–1 तमन्ना पर होने तथा प्रार्थी संख्या–2 धीरू सिंह के भविष्य में पुत्री दिव्या को अपनी अभिरक्षा में प्राप्त करने के सम्बन्ध में कोई दावा नहीं करने के सम्बन्ध में उनके मध्य सहमति बनने के भी स्पष्ट कथन किये गये हैं। इसके अलावा न्यायालय के द्वारा दोनों पक्षों के मध्य की गई समझाईश भी विफल रही है तथा पक्षकारों के अभिवचनों एवं उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से उनमें किसी भी प्रकार की कोई दुर्भिसंधि नहीं होना भी दर्शित होता है। इसके अलावा दिनांक 13.02.2026 को हस्तगत याचिका प्रस्तुत किये जाने के उपरांत पक्षकारों को 6 माह की निष्क्रिय समयावधि/विचार–विमर्श की अवधि से भी विमुक्त किया जा चुका है, अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना

के अनुक्रम में प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी संख्या–1 तमन्ना एवं प्रार्थी संख्या–2 धीरू सिंह के द्वारा पारस्परिक सहमति के आधार पर प्रस्तुत हस्तगत याचिका अन्तर्गत धारा 13–(ख) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है तथा वे हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13–(ख) के तहत पारस्परिक सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं।

–आदेश–

07. परिणामतः प्रार्थी संख्या–1 तमन्ना पुत्री श्री वेदप्रकाश पत्नी धीरू सिंह, उम्र–24 साल, (याचिका प्रस्तुति के समय), निवासी–धिंगतानिया, तहसील–सादुलशहर, वर्तमान निवास–गाँव नूरपुरा, वार्ड नंबर–04, तहसील–सादुलशहर, जिला–श्रीगंगानगर (राज.) एवं प्रार्थी संख्या–2 धीरू सिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह, उम्र–34 साल (याचिका प्रस्तुति के समय), निवासी– वार्ड नंबर–08 धिंगतानिया, तहसील–सादुलशहर, जिला–श्रीगंगानगर (राज.) की ओर से प्रस्तुत हस्तगत याचिका अन्तर्गत धारा 13–(ख) हिन्दू विवाह अधिनियम को उक्तानुसार स्वीकार किया जाकर उनके मध्य दिनांक 28.04.2022 को सम्पन्न हुए विवाह को उनकी पारस्परिक सहमति के आधार पर आज दिनांक 12.03.2026 से विघटित किया जाता है। खर्चा दोनों पक्षकार अपना–अपना वहन करेंगे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा तैयार किया जावे।

(दीपा शर्मा)

08. यह निर्णय आज दिनांक 12.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(दीपा शर्मा)

VINOD KUMAR
steno Gr.II
"Authenticate Document"
Digitally signed by VINOD KUMAR
Date: 2026.03.12 13:28:34 +0530